झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(जिला भू–अर्जन कार्यालय, राँची)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

नगर पंचायत बुण्डू में पार्क एवं मोटर गैरेज निर्माण परियोजना

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–बुण्डू, थाना–बुण्डू, थाना संख्या–28, अंचल–बुण्डू, जिला–राँची में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियेाजना पार्क एवं मोटर गैरेज निर्माण हेतु अपेक्षित है, प्रभावित परिवारों के पुर्नवासन एवं पुर्नव्यस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासन के रुप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम –बुण्डू, थाना–. बुण्डू, थाना संख्या–28, अंचल–बुण्डू, जिला–राँची में उपर्युक्त कथित परियेाजना के लिए कमोवेश 3.51 एकड़ यानि 1.418 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क्र0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
01	52	2902	कायमी	टांड–।	0.62	विद्या देवी	सीमाना ग्राम–एदलहातु	2903	2900	रास्ता
02	52	2904	रैयती/कायमी	टांड–।।	2.89	विद्या देवी	2903	2908 2907	2901 2905	रास्ता
				कुल	3.51					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि मे किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/सममाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन

हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची और उनके कर्मचारी.. को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमादित के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नही करेगा या ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

05/08/17
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
राँची।

5/8/17
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

E : RVS 29-04-17 Adhisuchna-2